राजस्व अपील संख्या – 04/2025
जी सी एम एस नम्बर – 2025/5

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या – 04/2025
जी सी एम एस नम्बर – 2025/5

अपीलांटः–

छोगाराम पुत्र स्व. हापुराम जाति विश्नोई उम्र 65 वर्ष निवासी ग्राम पोस्ट गुडा विश्नोईयान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोन्डेन्टस –

1. खम्मूराम पुत्र स्व. हापूराम के कायम मुकामः–
   1/1 मांगीलाल पुत्र स्व. खम्मुराम उम्र 29 वर्ष जाति विश्नोई निवासी गुडा विश्नोईयान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
   1/2 श्रीमती कुंपादेवी पत्नी स्व. खम्मुराम उम्र 60 वर्ष जाति विश्नोई निवासी गुडा विश्नोईयान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
   1/3 सिवरी पुत्री स्व. खम्मुराम पत्नी भबूतराम जाति विश्नोई निवासी गुडा विश्नोईयान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
   1/4 सोहनी पुत्री स्व. खम्मुराम पत्नी रमेश जाति विश्नोई निवासी गुडा विश्नोईयान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
   1/5 पिस्ता पुत्री स्व. खम्मुराम पत्नी श्याम जाति विश्नोई निवासी कोरणा भागाव, तहसील कल्याणपुर, जिला बाडमेर।
2. सुरेन्द्र विश्नोई पुत्र स्व. हापूराम
3. पाबूराम पुत्र स्व. हापूराम
4. दौलाराम पत्रु स्व. हापूराम
   सभी जातियान विश्नोई निवासीगण गुडा विश्नोईयान तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
5. ओमप्रकाश पुत्र गुणेशराम जाति विश्नोई निवासी गुडा विश्नोईयान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
6. भंवरलाल पुत्र गुणेशराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम गुडा विश्नोईयान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
7. तहसीलदार, लूणी।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

राजस्व अपील संख्या – 04/2025
जी सी एम एस नम्बर – 2025/5

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विभाजन प्रस्ताव इकरारनामा के तहत वंटवाडा आदेश राजस्व ग्राम गुडा विश्नोईयान एवं खेजडली खुर्द में दिनांक 22.08.2019 को तहसीलदार, लूणी के आदेश कमांकः भू.अ. /2019/57 के तहत स्वीकार फरमाया गया, को निरस्त फरमाये जाने हेतु।

उपस्थित –

1. अधिवक्ता श्री बांकाराम चौधरी (अपीलांट की ओर से)
2. अधिवक्ता श्री बी.एल. चौधरी (प्रत्यर्थी सं. 2 से 6 तक की ओर से)
3. प्रत्यर्थी सं. 1/1 से 1/5 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक– 28.08.2025

यह अपील राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 225 के अंतर्गत, तहसीलदार, लुणी, जिला जोधपुर द्वारा पारित आदेश कमांक भू.अ./2019/57 दिनांक 22.08.2019 अंतर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 17.09.2020 को अपीलांट छोगाराम की ओर से प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये। श्री बी.एल. चौधरी व श्री शंकर सिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता ने प्रत्यर्थीगण सं. 2 से 6 तक की ओर से वकालतनामा पेश किया।

3. अपील मीमों के अनुसार प्रकरण के सारवान व संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि

(a)ग्राम गुडा विश्नोईयान का ख.नं. 411/1 रकबा 12–08 बीघा की कृषि भूमि छोगाराम, खम्मुराम, पाबुराम, सुरेन्द्र विश्नोई, दोलाराम पिता हापुराम रकबा 2–08 बीघा, सुरेन्द्र पुत्र हापूराम रकबा 5 बीघा, दोलाराम पुत्र हापूराम रकबा 5 बीघा, खाता सं. 691 में खातेदारी में दर्ज थी।

(b)इसी प्रकार ग्राम गुडा विश्नोईयान के ख.नं. 551/1 रकबा 20 बीघा 17 बिस्वा 13 बिस्वांशी भूमि छोगाराम, खम्मुराम, पाबुराम, सुरेन्द्र विश्नोई, दौलाराम पुत्र हापूराम के नाम खातेदारी में दर्ज थी।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

राजस्व अपील संख्या – 04/2025
जी सी एम एस नम्बर – 2025/5

(c)इसी प्रकार ग्राम गुडा विश्नोईयान का ख.नं. 656/13 रकबा 10 बिस्वा, ख.नं. 656/14 रकबा 15–11 बीघा, ख.नं. 656/16 रकबा 10 बिस्वा, ख.नं. 666/4 रकबा 29–17 बीघा भूमि छोगाराम, खम्मुराम, पाबुराम, सुरेन्द्र विश्नोई, दौलाराम पिता हापुराम, छोगाराम पुत्र हापुराम के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी।

(d)ग्राम खेजडली खुर्द का ख.नं. 4 रकबा 38–12 बीघा की भूमि ओमप्रकाश, भंवरलाल पिता गुणेशराम, छोगाराम, खम्मुराम, पाबुराम, सुरेन्द्र विश्नोई, दौलाराम पिता हापुराम के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी।

(e)इसी प्रकार, ग्राम खेजडली खुर्द का ख.नं. 12 रकबा 14 बीघा, ख.नं. 54 रकबा 64 बीघा भूमि छोगाराम, खम्मुराम, पाबुराम, सुरेन्द्र विश्नोई, दौलाराम पुत्र हापुराम रकबा 16 बीघा, पाबुराम पुत्र हापुराम रकबा 24 बीघा, दोलाराम पुत्र हापुराम रकबा 24 बीघा भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी।

(f)उक्त विवरण की सभी आराजीयात का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु बंटवाडा इकरारनामा, सभी सहखातेदारों ने दिंनाक 22.08.2019 को निष्पादित किया तथा उक्त विवरण की समस्त आराजी का निम्नानुसार विभाजन कियाः–

क्र. सं.	नाम खातेदार	ग्राम	ख.नं.	रकबा (बीघा में)
1	छोगाराम पुत्र हापुराम	गुडा विश्नोईया	411/5	01–00
		गुडा विश्नोईया	551/4	04–00
		गुडा विश्नोईया	666/10	04–00
		खेजडली खुर्द	12	14–00
		कुल	4	23–00
2	खम्मुराम पुत्र हापुराम	गुडा विश्नोईया	411/4	01–00
		गुडा विश्नोईया	551/3	04–00
		खेजडली खुर्द	4	15–06
		कुल	3	20–06
3	पाबुराम पुत्र हापुराम	गुडा विश्नोईया	551/1	12–00
		गुडा विश्नोईया	411/2	08–00
		गुडा विश्नोईया	666/9	07–00

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

राजस्व अपील संख्या – 04/2025
जी सी एम एस नम्बर – 2025/5

		खेजडली खुर्द	54/4	24–00
		कुल	4	43–08
4	सुरेन्द्र विश्नोई पुत्र हापूराम	गुडा विश्नोईया	411/1	05–00
		गुडा विश्नोईया	551/2	00–17–13
		गुडा विश्नोईया	666/4	18–17
		गुडा विश्नोईया	656/18	02–09
		खेजडली खुर्द	54	16–00
		कुल	5	43–03–13
5	दौलाराम पुत्र हापूराम	गुडा विश्नोईया	411/3	05–00
		गुडा विश्नोईया	656/16	00–10
		गुडा विश्नोईया	656/14	13–02
		गुडा विश्नोईया	656/13	00–10
		खेजडली खुर्द	54/3	24–00
		कुल	5	43–02
6	ओमप्रकाश, भंवरलाल पिता गुणेशाराम	खेजडली खुर्द	4/1	19–06
7	छोगाराम, खम्मुराम, पाबुराम, सुरेन्द्र विश्नोई, दौलाराम पिता हापूराम	खेजडली खुर्द	4/2	04–00

उक्तानुसार विभाजन का लिखित इकरारनामा दिनांक 22.08.2019 सभी अभिलिखित खातेदारान द्वारा निष्पादित करने के पश्चात्, इकरारनामा अनुसार ही एक प्रार्थना पत्र दिनांक 22.08.2019 को तहसीलदार, लूणी को राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 53(2) के अंतर्गत पेश कर निवेदन किया कि इकरारनामा अनुसार आराजी का बंटवाडा किया जावे तथा पटवारी हल्का गुडा विश्नोईयान व खेजडली द्वारा रिकॉर्ड में सभी सहखातेदारान रिकॉर्डेड होना प्रमाणित किया। उक्तानुसार इकरारनामा व प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत होने पर तहसीलदार लूणी द्वारा, इकरारनामा में अंकित विवरण, राजस्व अभिलेखों का परीक्षण करने के पश्चात् सभी सहखातेदारान की इकरारनामा अनुसार बंटवाडा किया जाने की सहमति से संतुष्ट

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

होकर पत्रांक/भू.अ./2019/57 दिनांक 22.08.2019 से राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 53 के प्रावधानानुसार प्रार्थना पत्र के पैरा 2 में अंकित प्रस्तावानुसार आराजी विभाजन के आदेश पारित किये तथा जरिये नामांतरकरण राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज करने के आदेश पारित किए। उक्त आदेश की पालना में ग्राम खेजडली का नामांतरकरण सं. 715 दिनांक 02.09.2019 व ग्राम गुडा विश्नोईयान का नामांतरकरण सं. 2535 दिनांक 29.08.2019 को स्वीकार किया गया तथा रिकॉर्ड में माफिक बंटवारा इन्द्राजात किये गये।

(g)उक्त बंटवारा आदेश दिनांक 22.08.2019 से व्यथित होकर छोगाराम (अपीलांट) ने यह अपील इस आधार पर पेश की गई है कि ख.नं. 656/13, 656/14, 666/4 रकबा 46–08 बीघा में से 23 बीघा भूमि अपीलांट की दिनांक 29.07.1978 को क्रय की हुई है, जिसका नामांतरकरण सं. 712 स्वीकार हुआ है, जो अपीलांट की निजी संपति है, उसे संयुक्त खातेदारी की नहीं मानी जा सकती तथा जरिये इकरारनामा अन्य को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। इससे भारी स्टांप ड्यूटी की हानि हुई है।

इसी प्रकार पूर्व में दोलाराम, खम्मूराम व सुरेन्द्र को बक्शीश की गई भूमि बक्शीश ग्रहिता की निजी संपति मानी जायेगी, उसे संयुक्त परिवार की संपति नहीं माना जा सकती।

अपीलांट अनपढ व्यक्ति है। प्रत्यर्थीगणों ने चालाकी से अपीलांट की निजी भूमि को संयुक्त परिवार की संपति में शामिल कर, बंटवारा धोखे से किया है। जिसकी सर्वप्रथम जानकारी पटवारी से दिनांक 10.07.2020 को हुई। आक्षेपित बंटवारा प्रारंभ से ही शून्य, विधि विरूद्ध, राज्य हितों के विरूद्ध व प्रभावहीन होने से खारिज योग्य है।

4. प्रत्यर्थीगण सं. 2 से 6 की ओर से अपील का लिखित विस्तृत जवाब न्यायिक दृष्टांतों का उल्लेख करते हुए दिनांक 04.11.2024 को पेश किया, जिसकी प्रति अपीलांट के अधिवक्ता को दी गई।

लिखित जवाब के अतिरिक्त प्रत्यर्थी सुरेन्द्र विश्नोई, गवाह पाबूराम, ओमप्रकाश, भीकाराम, श्रीराम का तस्दीकसुदा शपथ पत्र पेश किये है। प्रत्यर्थीगण सं. 2 से 6 तक ने दिनांक 25.11.2024 को लिखित बहस भी पेश की है। प्रत्यर्थीगण सं. 2 से 6 तक की ओर से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

धारा 5 म्याद अधिनियम का लिखित जवाब दिनांक 04.11.2024 को पेश किया गया, जिसकी प्रति अपीलांट के अधिवक्ता को दिलवाई गई।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता श्री धांकाराम चौधरी ने अपील मीमों में अंकित अभिकथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट की खुद की क्रय सुदा व पैतृक संपति गुडा विश्नोईयान व खेजडली में आई हुई है, जिसका बंटवारा दिनांक 22.08.2019 को तहसीलदार, लूणी द्वारा किया गया है, जिसे निरस्त करवाने हेतु यह अपील टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 225 के तहत पेश की गई है। बंटवारा केवल संयुक्त खातेदारी की भूमि का, संयुक्त परिवार की आय से क्रय की गई भूमि का ही किया जा सकता है। सन् 1978 में अपीलांट ने खींवदास से 23 बीघा भूमि खरीदी, जिसमें अपीलांट के पिता हापूरामजी भी सहखातेदार थे, जिनके नाम 23 बीघा भूमि थी। कुल भूमि 46 बीघा थी। हापूराम के निधन होने पर 23 बीघा भूमि जरिए नामांतरकरण सं. 2472 से हापूराम के वारिसान के नाम हिस्से अनुसार दर्ज की गई। शेष 23 बीघा भूमि अपीलांट के नाम रही। केवल उक्त 23 बीघा आराजी, जो हापूराम के नाम थी, को छोडकर शेष पिता हापूराम के नाम समस्त आराजी का जरिये बक्शीशनामा, वारिसान (अपीलांट को छोडकर) को हस्तांतरित कर दी। एक अन्य रजिस्टर्ड बक्शीशनामा से नामांतरकरण हो जाने के बाद वह भूमि पुनः संयुक्त खातेदारी की भूमि में नहीं आ सकती। जबकि बंटवारा में इन्हे भी पैतृक संयुक्त संपति में लिख दिया। पटवारी ने उक्त बक्शीशसुदा/नामांतरकरण सुदा आराजीयात को पारिवारिक समझौता पत्र में शामिल किया, इसमें अपीलांट की स्वयं की क्रय सुदा 23 बीघा आराजी को भी शामिल कर लिया तथा सभी सहखातेदारों के बीच बांट दी, जो कि गलत है, अविधिक है। विवाद का बिंदु यह है कि 23 बीघा भूमि अपीलांट ने स्वयं की आय से खरीदी या संयुक्त परिवार की आय से क्रय की गई।

दिनांक 15.06.1996 को नायब तहसीलदार, लुणी द्वारा उक्त 46 बीघा भूमि का बंटवारा किया गया था, जो सहखातेदार हापूराम, गुणेशाराम व छोगाराम के बीच आराजी का बंटवारा था तथा उसका नामांतरकरण भी हो चुका था।

आक्षेपित बंटवारा में अपीलांट को मात्र 23 बीघा भूमि दी गई है, जबकि उक्त 23 बीघा भूमि अपीलांट की स्वयं की क्रय सुदा भूमि थी। शेष भाईयों को 43–43 बीघा भूमि दी गई, जबकि अपीलांट को केवल 23 बीघा भूमि ही दी है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत शपथपत्रों से कुछ भी सिद्ध नहीं होता है। प्रिवी कोंसिल के 1932 के निर्णय यहां लागू नहीं होते है।

माननीय राजस्व मण्डल की वृहद पीठ द्वारा पारित निर्णय गंगाधर व अन्य बनाम भौरीलाल व अन्य (RRT 2018-19 (Supp) 623) अनुसार तहसीलदार द्वारा राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 53 के तहत आपसी सहमति/समझौता के आधार पर आराजी विभाजन बाबत पारित आदेश, एक आदेश है तथा समझौता पत्र एक प्रार्थना पत्र है तथा नियम 18 के अंतर्गत पारित आदेश, एक आदेश है, जिसकी अपील कलक्टर के समक्ष होती है। अतः यह अपील मेंटेनेबल है।

अपील देरी से पेश करने के लिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम बाबत विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विभाजन आदेश दिंनाक 22.08.2019 की जानकारी होने की तिथि से अंदर म्याद, अपील पेश कर दी है, जिसका विवरण प्रार्थना पत्र में वर्णित है। अतः अपील स्वीकार की जाकर, आक्षेपित बंटवारा खारिज किया जावे।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्तानुसार बहस का प्रत्युत्तर देते हुए, प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री बी.एल. चौधरी ने कथन किया कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 22.08.2019 को विभाजन आदेश अपीलांट की उपस्थिति में पारित किया है तथा उसको निरस्त करवाने हेतु यह अपील दिनांक 17.09.2020 को पेश की है। अतः अपील स्पष्ट रूप से म्याद बाहर है। देरी को क्षम्य करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित कथन संतोषप्रद नहीं है तथा कथन झूठे है। आक्षेपित आदेश एक डिक्री है। अतः धारा 225 के अंतर्गत यह अपील मेंटेनेबल ही नहीं है। राज. टिनेन्सी एक्ट 1955 के संलग्न अनुसूची 3 के पार्ट 2 में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश की अपील का कोई प्रावधान नहीं है। धारा 53 में पारित आदेश अनुसूची 3 के पार्ट I में है, जिसमें डिक्री पारित की जाती है। अतः प्रार्थना पत्र में पारित आदेश की अपील इस कोर्ट में संधारण योग्य नहीं है। आक्षेपित आदेश से पक्षकारों के अधिकारों को तय किया गया है। अतः यह आदेश डिक्री है। आदेश नहीं है।

इसके अतिरिक्त आक्षेपित आदेश आपसी सहमति के आधार पर पारित किया गया है। अतः सीपीसी की धारा 96(3) के प्रावधानानुसार अपील संधारण योग्य नहीं है। लिखित बहस में न्यायिक निर्णयों का उल्लेख कर दिया गया है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि रामझौता पत्र में अपीलांट छोगाराम का सहमति का अंगूठा व हस्ताक्षर है। पावूराम, जो अपीलांट छोगाराम का साला है, उसका भी अंगूठा व हस्ताक्षर है, अपीलांट स्वयं को अनपढ बताता है, जबकि वह 8वी कक्षा पास है। अपीलांट स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आया है। हमने लिखित जवाब में सारे तथ्यों का विस्तृत विवरण दिया है। पंचों की बैठक में हिस्से तय किये गये है। बक्शीश व रजिस्ट्री का भी हवाला अंकित है। हापूराम ने, जो बक्शीश, सुरेन्द्र को की थी, उसको सुरेन्द्र ने छोगाराम को पुनः बक्शीश कर दी है।

विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने बहस करते हुए कथन किया कि Hindu Law by E.J. Trevelyon के अनुसार संयुक्त परिवार में किसी एक सदस्य के नाम खरीदी गयी संपति, संयुक्त परिवार की संपति होगी। यदि परिवार का सदस्य संपति स्वअर्जित करता है, तो उसे स्वयं की आय सबूतों से सिद्ध करनी पडेगी। राशनकार्ड सन् 1975 का संयुक्त परिवार का है जिससे सिद्ध होता है कि विवादग्रस्त संपति क्रय करते समय परिवार संयुक्त था। यह सिद्धांत Hindu Law by N.R. Raghavacharya में Law of blending के रूप में प्रतिपादित है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया है कि विभाजन का पंजीयन होना आवश्यक नहीं है।

अपीलांट्स ने मीमों ऑफ अपील में विभाजन इकरारनामा में फ्रॉड (Fraud) का आरोप लगाया है परंतु फ्रॉड किस प्रकार किया गंया है, इसका विशेष उल्लेख, आदेश 6 नियम 4 सीपीसी अनुसार किया जाना आवश्यक है।

विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण की ओर से निम्न न्यायिक दृष्टांत भी पेश किये तथा अपील अस्वीकार करने का कथन किया है:–

1. Order passed on compromise on oath:- Appeal is not maintainable:
   - AIR 1972 (All) 453-Para 4-8
   - (2006)5 SCC 566-Para 19-20, 23-25
   - (2023)3 CCC 360 (Guj)-Para 10,13-1
   - (2023)3 CCC 426 (S.C.)-Para 6, 8-10
   - AIR 1963 (Raj.) 63 (DB)-Para 16, 21, 26

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

- Civil Appeal No. 6681-82/2023 (S.C.) Sakina Sultana Ali V/S Shia Imma - Para 15
- 1970 RRD 21 Para 2, 3, 6, 7
- 1977 RRD 86 Para 2, 4, 6, 7

2. Compromise decree passed on the basis of settlement-not open to court, when fraud on party or court is pleaded & established.

   Court cannot go in to question as to whether contents of settlement are correct or not or as whether property were joint or self acquired AIR 2009 (S.C.) (Supp.) 12 18 Para-24, 38, 40

3. Compromise not required- Registration as per section 17(I)(b), 17(I) and 17(2)(v)-
   - (2021)1 CCC 242 (S.C.) Para 14, 15, 16, 17
   - (2016)4 CCC 104 (S.C.) Para 11, 12, 15, 17, 23, 25-27
   - 2025(2) CCC 467 (S.C.) Para 11, 12, 13
4. Property acquired by fund of joint labour of two brothers- Property is joint Hindu family co-parcenery property, no separate income:-
   - AIR 2010 (NOC) 983 (P&N) Para 55-62, 85, 89, 90
   - AIR 2009 (NOC) 1271 (Bomb.) Para 8
   - AIR 1980 (Pat.) 237 (DB) Para 8, 10-12
5. Blending of separate property with joint property by co-parcerner that property is joint Hindu Property:-
   - (1907)9 Bom LR 597 (P.C.) Para 5-9
   - AIR 1963 (SC) 1601 Para 9
   - AIR 1970 SC 1722 Para 6, 8, 12

उपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

- AIR 1963 (A.P.) 305 (DB) Para 14
- AIR 2003 (P&H) 289 Para 14-15
- AIR 2014 (Del) 86 (DB) Para 18, 19

6. Property entered in the revenue record in the name of one of the member that property is joint hindu property-
   - . (1866)11 M.I.A. 369(P.C.) Page 4-6
7. Property purchased by father in the name of son that property is his self acquired property-
   - AIR 1936 (May) 185 page 186
   - AIR 1952 (Raj.) 28 (DB) Para 6
   - First Appeal- 321/2023 Saurabh Gupta V/S Smt. Archna Gupta Para 15
   - 2001(All) 366-Para 30-31
8. Order passed on the basis of compromise decree- have blind force of res-judicata-
   - AIR 1991 SC 2234 Para 41-45
9. Order passed on compromise order/decree might create an estoppel by conduct-
   - AIR 1967 (SC) 591 Para 10
10. Order Passed on compromise decree, cannot be challenged by appeal but go to same court-
    - (2021)1 CCC 741 Para 6, 7, 8, 9, 11
    - Civil Appeal No. 14328/2024 (SC) Navratan lal sharma V/S Radha Mohan Sharma Para 11-14
11. Order 6 Rule 4 CPC (2021)4 CCC 284 (SC)- Para 23
12. Limitation: 2022(2) CCC 127, 2022(4) CCC 640, (2019)1 CCC 342

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

13. 2025(2) CCC 467 (SC)- Revenue records are not documents of title. (Mukesh V/S State of M.P.)

14. (2021)4 CCC 284- Placido- Francisco- Pinto (D) By LRs & Ors. V/S Jose Francisco-Pinto & Ors.
Presumption of registered document valid.

8. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख, अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख, प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत लिखित जवाब व लिखित बहस में अंकित अभिकथनों का भलीभांति अध्ययन कर उनका अवलोकन किया। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत कथनों व तर्कों पर गंभीरता से मनन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया तथा संबंधित विधि प्रावधानों का भी अध्ययन किया।

9. अपील का निस्तारण गुणावगुण पर करने से पूर्व, यह न्यायालय अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम 1963 का निस्तारण करना उचित समझता है।

(a) अपीलांट ने प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 2 में कथन किया है कि रेस्पोंडेंट्स द्वारा अपीलांट को अंधेरे में रखते हुए व अपीलांट के अनपढ होने का फायदा उठाते हुए तथाकथित सहमति से बंटवाडा इकरारनामा निष्पादित करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.08.2019 पारित करवाया गया, जिसकी जानकारी अपीलांट द्वारा पटवारी हल्का से बंटवाडे के तहत की जाने वाली कार्यवाही के तहत मौके पर माप चौक कराने व मौके पर भूमि अलग–अलग करने की बात करने पर, हल्का पटवारी द्वारा उक्त अपीलाधीन आदेश की असलियत पता चली तथा पहली बार दिनांक 10.07.2020 को इस तथ्य की जानकारी हुई। इसके बाद दिनांक 14.07.2020 को तहसील कार्यालय लूणी से बंटवारा आदेश दिनांक 22.08.2019 की नकल लेने पर जानकारी प्राप्त हुई। इसके बाद पटवारी हल्का से दिनांक 21.08.2020 को नामांतरकरणों की नकले ली तथा नकले प्राप्त होने की तारीख से अपील अंदर म्याद पेश है।

धारा 5 के उक्त प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 3 अनुसार, अपीलांट अनपढ होने के कारण तथा अपने भाईयों पर अति विश्वास करने के कारण तथाकथित बंटवाडा इकरारनामा पर अंगूठा किया जाकर सहमति प्रदान की गई थी। प्रार्थी को यह

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

जानकारी नहीं हो पाई कि उसकी खरीदसुदा दिनांक 24.07.1978 की निजी खातेदारी भूमि को भी शामिल किया गया है इसलिए प्रार्थी रेस्पोंडेंट्स के कथनों पर विश्वास कर बैठा एवं उक्त विश्वास के कारण ही दिनांक 22.08.2019 से आज दिन तक विश्वास कर बैठा रहा तथा उक्त बंटवाडे के फैसले की प्रमाणित प्रति प्राप्त नहीं की गई इसलिए अपीलांट अनपढ होने तथा भाईयों पर विश्वास करने के कारण अपीलाधीन आदेश की चाराजोही समय पर नहीं कर सका, परंतु जानकारी होने की तारीख से अपील अंदर म्याद पेश है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर देरी को कन्डोन किया जावे। प्रार्थना पत्र के समर्थन में तस्दीकसुदा शपथ पत्र अपीलांट द्वारा पेश किया है।

(b)अपीलांट के उक्त विवरण के प्रार्थना पत्र का प्रत्यर्थी गण सं. 2 से 6 तक ने लिखित जवाब पेश कर कथन किये है कि इस अपील को सुनने का व क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। अपीलांट के कथन सर्वथा मिथ्या, झूठे व कपोल कल्पित है। अपीलांट अनपढ नहीं है। अपीलांट ने सन् 1965 में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गुडा विश्नोईयान से आठवी कक्षा उत्तीर्ण की है। अपने कथनों के समर्थन में, अपील के विरूद्ध प्रस्तुत जवाब में अंकित कथनों का संदर्भ लिया है, जिसमें स्कूल का ट्रांसफर प्रमाण पत्र संलग्न है।

इनका यह भी कथन है कि बंटवारा इकरारनामा लिखने से पहले पंचों के समक्ष सारी बात तय कर दी गई थी, जिसकी लिखत दिनांक 07.08.2019 प्रदर्श 10 से होती है तथा दिनांक 14.08.2019 को अपीलांट की बहनों मांगली व मीमा द्वारा अपने हिस्से का हक त्याग पांचों भाईयों के पक्ष में किया गया है (प्रदर्श 11)। आपसी सहमति प्रदर्श 10 के बाद ही बंटवारा लिखा गया तथा बंटवारा की शर्तों अनुसार प्रदर्श–13 बक्शीशनामा दिनांक 26.08.2019 को सुरेन्द्र विश्नोई द्वारा अपीलांट छोगाराम के पक्ष में ग्राम खेजडली के ख.नं. 11 रकबा 20–09 बीघा भूमि का निष्पादित किया है, जिसे छोगाराम (अपीलांट) स्वयं ने स्वीकार किया है।

अतः अपीलांट का यह कथन सर्वथा झूठा है कि उसे अंधेरे में रखकर बंटवारा पर अंगूठा/हस्ताक्षर करवाया है तथा बंटवारा की प्रथम बार जानकारी पटवारी से दिनांक 10.07.2020 को प्राप्त हुई। बंटवारा की पालना तो दिनांक 26.08.2019 को नामांतरकरण खोलने से व दिनांक 02.09.2019 को नामांतरकरण स्वीकृत होने से हो गई थी। दिनांक 10.07.2020 को पुनः पटवारी का मौके पर आने का कथन झूठा है। दिनांक 14.07.2020 को आदेश की प्रति प्राप्त होना तथा

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

दिनांक 21.08.2020 को नामांतरकरण की प्रति प्राप्त होना, अपने आप में विरोधाभाषी है।

अपीलांट की स्वयं की निजी खरीदी भूमि नहीं है, बल्कि आराजी संयुक्त हिंदु परिवार की अविभाजित आराजी है, जिसकी जानकारी दिनांक 22.08.2019 को अपीलांट को भली भांति थी, इसलिए अपीलांट ने इकारानामा दिनांक 22.08.2019 पढकर, पूर्णरूप से सोच समझ कर, उस पर अंगूठा व हस्ताक्षर किये है। अपना फोटो भी उस पर लगाया। अपीलांट का विश्वास पर बैठे रहने का कथन झूठा है। जबकि बंटवारा के बाद बंटवारा की शर्तो की पालना में, सुरेन्द्र विश्नोई ने ग्राम खेजडली खुर्द के खसरा नंबर 11 रकबा 20–09 बीघा का दानपत्र दिनांक 26.08.2019, ग्राम गुडा विश्नोईयान के आराजी नंबर 656/13, 656/14, 656/16 व 666/4 में अपीलांट के 1/2 हिस्से में जो भूमि उसके नाम रिकॉर्ड में दर्ज थी, उस भूमि के बदले, दानपत्र अपीलांट पक्ष में निष्पादित व पंजीयन करवा दिया गया। इससे भी स्पष्ट है कि अपीलांट को आक्षेपित आदेश दिनांक 22.08.2019 की जानकारी उसी दिन से थी। ऐसी स्थिति में अपील स्पष्ट रूप से म्याद बाहर पेश की गई है तथा अपील खारिज योग्य है।

अपीलांट छोगाराम स्वयं द्वारा समाज के मौजीज पंचों से दिनांक 07.08.2019 को बुलाकर विभाजन कराया था, उसी की पालना में दिनांक 22.08.2019 को आपसी सहमति से बंटवारा किया गया तथा सुरेन्द्र ने भी अपीलांट के पक्ष में पुनः बक्शीशनामा दिनांक 26.08.2019 को लिख दिया, जिसे अपीलांट ने स्वीकार किया है तथा बंटवारे की शर्त की पालना कर दी है। जिसकी पालना में नामांतरकरण 716 ग्राम खेजडली खुर्द अपीलांट के नाम स्वीकृत हुआ है। अतः आक्षेपित आदेश दिनांक 22.08.2019 की जानकारी दिनांक 10.07.2020 को होने का कथन सर्वथा झूठा है। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र मय खर्च खारिज किया जावे।

(c)हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम 1963 में अंकित अभिकथनों, उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत कथनों का अध्ययन किया, उन पर मनन किया। प्रत्यर्थीगण 2 से 6 तक द्वारा प्रस्तुत जवाब, विरूद्ध प्रार्थना पत्र में अंकित अभिकथनों का भी अध्ययन कर मनन किया तथा प्रत्यर्थीगण 2 से 6 तक द्वारा इस बिंदु पर प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का भी अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

(d)अपीलांट ने तहसीलदार, लूणी द्वारा पारित बंटवारा आदेश दिनांक 22.08.2019 के विरूद्ध यह अपील दिनांक 17.09.2020 को लगभग 13 माह बाद इस न्यायालय में पेश की है तथा अपील के साथ अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन करने हेतु एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ पत्र पेश किया है, जिसमें अपील पेश करने में हुई देरी का कारण अपीलांट का अनपढ होना तथा बंटवारा इकरारनामा में उसकी निजी स्वअर्जित आराजी को भी संयुक्त हिंदू परिवार की अविभाजित संयुक्त संपति के रूप में शामिल करने की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 10.07.2020 को हल्का पटवारी से होना बताया है। दिनांक 14.07.2020 को बंटवारा आदेश दिनांक 22.08.2019 की प्रति तहसील से प्राप्त की तथा उसके पश्चात् दिनांक 21.08.2020 को नामांतरकरण की नकल प्राप्त की तथा दिनांक 17.09.2020 को अंदर म्याद अपील पेश करना कथित किया है। प्रत्यर्थीगण सं. 2 से 6 तक ने अपीलांट के उक्त प्रार्थना पत्र के जवाब में लिखित जवाब मय शपथपत्र पेश कर, अपीलांट के प्रार्थना पत्र में अंकित सभी अभिकथनों का खण्डन किया है तथा अपीलांट के कथनों को झूठा, असत्य व कपोलकल्पित बताते हुए, तथ्यों को छुपाने का आरोप भी लगाया है। अपीलांट का अनपढ होने के कथन का खण्डन ट्रांसफर प्रमाण पत्र, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, गुडा विश्नोईयान का पेश किया है। संयुक्त परिवार की संपति का विभाजन करने हेतु समाज के पंचों की उपस्थिति में तय बंटवारा प्रस्ताव की फोटो प्रतियां दिनांक 07.08.2019 पेश की है। उक्त पंचायत दिनांक 07.08.2019 के बाद दिनांक 22.08.2019 को आक्षेपित बंटवारा इकरारनामा लिखा गया है, जिसमें यह भी अंकित किया गया है कि "ग्राम खेजडली खुर्द के खसरा नंबर 48 रकबा 68–19 बीघा का 1/3 हिस्सा भूमि खुमाराम के नाम से व ग्राम गुडा विश्नोईयान के ख.नं. 656/13, 656/14, 656/16, 666/4 की भूमि छोगाराम (अपीलांट) के नाम से खरीदी गई, भूमि हमारे पिता हापूराम की संयुक्त पारिवारिक आय द्वारा खरीदी गई है, जिसे संयुक्त पारिवारिक भूमि मानते हुए पारिवारिक बंटवारा में सम्मिलित की गई है, जिसमें हम सभी पक्षकारान पूर्ण रूप से सहमत है।"

"यह कि ग्राम खेजडली खुर्द के ख.नं. 11 रकबा 20–09 बीघा भूमि पिताजी द्वारा सुरेन्द्र विश्नोई के नाम बक्शीश की गई, जो पुनः जरिये बक्शीश छोगारामं को पारिवारिक बंटवारा में दी गई है।"

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

राजस्व अपील संख्या – 04/2025
जी सी एम एस नम्बर – 2025/5

उक्त शर्त की पालना में बंटवारा आदेश दिनांक 22.08.2019 को जारी होने के तुरंत पश्चात् दिनांक 26.08.2019 को ही सुरेन्द्र विश्नोई ने ख.नं. 11 की 20–09 बीघा भूमि का रजिस्टर्ड बक्शीशनामा से अपीलांट छोगाराम के पक्ष में/नाम हस्तांतरित कर दी तथा उसका नामांतरकरण भी छोगाराम के नाम स्वीकृत हो गया। चूंकि आक्षेपित बंटवारा में छोगाराम (अपीलांट) को 23 बीघा भूमि दी गई थी तथा हापूराम द्वारा सुरेन्द्र की 20–09 बीघ भूमि, जो बक्शीश में दिनांक 31.10.2017 को दी थी, वह भूमि पारिवारिक बंटवारा में, छोगाराम को उक्त दस्तावेज दिनांक 26.08.2019 से दे दी तथा छोगाराम के पास कुल 23+20-09=43-09 बीघा भूमि हो गई, जो अन्य भाईयों के समान ही है। इस बक्शीशनामा को छोगाराम से स्वीकार किया है तथा प्रत्यर्थीगण द्वारा जो जवाब अपील व प्रार्थना पत्र का पेश किया है, उसका खण्डन अपीलांट द्वारा शपथपत्र पर नहीं किया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.08.2019 की जानकारी शुरू से ही थी। पारिवारिक विवाद को निपटाने हेतु दिनांक 07.08.2019 को समाज के मौजिज पंचों की उपस्थिति में पंचायती हुई, जिसके समर्थन में पाबूराम पुत्र गंगाराम, ओमप्रकाश पुत्र गणेशराम, भीकाराम पुत्र गोकुलराम, श्रीराम पुत्र सांवलराम ने तस्दीकसुदा शपथ पत्र पेश किये है।

उक्त दिनांक 07.08.2019 की पंचायत के बाद मांगली व मीमा पुत्रियां हापूराम ने अपना हिस्सा अपीलांट व उसके भाईयों (प्रतिवादी गण) के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज दिनांक 14.08.2019 को हकतर्क किया है, जिसे अपीलांट ने स्वीकार किया है। दिनांक 14.08.2019 के बाद, दिनांक 22.08.2019 को आक्षेपित बंटवारा इकरारनामा निष्पादित किया है, जिस पर अपीलांट ने अपने हस्ताक्षर/अंगूठा किया है तथा तहसीलदार के समक्ष दस्तावेज को स्वीकार किया है तथा तहसीलदार ने पूर्ण संतुष्टि के पश्चात् ही विभाजन के आदेश पारित किये है तथा रिकॉर्ड में अमल दरामद भी दिनांक 02.09.2019 तक हो चुका था। बंटवारा के तुरंत बाद ही बंटवारा शर्तों की पालना में सुरेन्द्र ने 20–09 बीघा भूमि का बक्शीशनामा अपीलांट के नाम दिनांक 26.08.2019 को निष्पादित कर दिया। उक्त घटनाक्रम से स्पष्ट है कि अपीलांट को बंटवारा दिनांक 22.08.2019 के दस्तावेज में अंकित समस्त अंतर्वस्तुओं की भली भांति जानकारी थी। अपीलांट अनपढ नही है। अपीलांट ने आक्षेपित आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 10.07.2020 को पटवारी हल्का से होना बताया, जो मानने योग्य नहीं है क्योंकि बंटवारा आदेश

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

राजस्व अपील संख्या – 04/2025
जी सी एम् एस नम्बर – 2025/5

दिनांक 22.08.2019 का रिकॉर्ड में अमलदरामद दिनांक 02.09.2019 को ही नामांतरकरण स्वीकृत होते ही हो गया था। दिनांक 10.07.2020 को जानकारी होने पर दिनांक 14.07.2020 को आक्षेपित आदेश की प्रमाणित प्रति अपीलांट ने प्राप्त करना स्वीकार किया है। अपीलांट के स्वयं की स्वीकारोक्ति अनुसार भी उसे प्रमाणित प्रति प्राप्त होने से तीस दिनों के भीतर अर्थात् 14.08.2020 तक अपील पेश कर देनी चाहिए थी। अपील आक्षेपित आदेश दिनांक 22.08.2019 के विरूद्ध पेश की है। इस अपील को पेश करने हेतु नामांतरकरणों की प्रमाणित प्रतियों की आवश्यकता ही नहीं थी। फिर भी अपील दिनांक 17.09.2020 को पेश की है तथा दिनांक 14.08.2020 से 17.09.2020 तक की प्रतिदिन की देरी का कोई कारण प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया है। इस प्रकार सर्वप्रथम जानकारी की तारीख दिनांक 10.07.2020 के आधार पर भी यह अपील म्याद बाहर पेश की गई है। अपीलांट को दिनांक 22.08.2019 से ही आक्षेपित आदेश की भलीभांति जानकारी थी। इस संदर्भ में यह न्यायालय, माननीय न्यायालयों द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धांतों का संदर्भ देना उचित मानता है।

(e)(i)Lingesawaran etc. V/S Thiru nagalingam (2022)2 CCC 158 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया है:–

The Court has no power to extend the period of limitation on equitable grounds-once it was found even by the trail court that delay has not been properly explained and even there are no merits in the application for condonation of delay, therefore, the matter should rest there and the condonation of delay application was required to be dismissed.

(ii) Popat Bhiru Goverdhane v L.A.O. (2013)10 SCC 765 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार प्रतिपादित किया है–

The Law of limitation may harshly affect a particular party but it has to be applied with all its rigour when the statutes so prescribes. The Court has no power to extend the period of limitation on equitable grounds. The statutory provision may

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

cause hardship or inconvenience to a particular party but the court has no choice but to enforce it giving full effect to the same.

(iii) In case of Maniben Devraj Shah V. Municipal corporation of Brihan Mumbai (2012)5 SCC 157 Para 14 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया है:–

The law of limitation is founded on public policy. The limitation Act 1963 has not been enacted with the object of destroying the right of the parties but to ensure that they approach the court for vindication of their rights without unreasonable delay. The idea underlying the concept of limitation is that every remedy should remain alive only till the expiry of the period fixed by the legislature. At the same time, the courts are empowered to condole the delay provided that sufficient cause is shown by the applicant for not availing the remedy within the prescribed period of limitation.

(iv)In H. Guruswamy & ors V/S A. Krishnaiah Civil Appeal No. 317/2025 (D/d 08-01-2025) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार प्रतिपादित किया है:–

"Court must not start with merit of the case. First ascertain the bonafides of explanation offered by the party seeking condonation. Own inaction for a long, it cannot be presumed to be non deliberate delay.

It is must to prevent dilatory tactics. Liberal approach, justice oriented approach and substantial justice should not be employed to frustrate or jettison the substantial law of limitation.

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

It shows "Complete absence of judicial conscience and restraint."

Issue of limitation is not merely a technical consideration but is based on sound public policy and equity. "Sword of Democles" cannot be kept hanging over the head of a litigant for an indefinite period of time.

(v) In Surendra G Shankar V/S Esque Finamark Pvt Ltd (Civil Appeal No. 928/2025) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया है–

"When scope of appeal is limited to delay condonation, merits of matter cannot be considered."

(f) उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांतों एवं हस्तगत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों का उक्त सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण करने पर इस न्यायालय का स्पष्ट मत है कि अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 में अपील पेश करने में हुई देरी का समुचित संतोषप्रद व सद्भाविक कारण अंकित नहीं किये है। प्रार्थना पत्र में कारण यांत्रिक तरीके से बहुत हल्के व अस्पष्ट आधार अंकित किये है, जो अब सामान्य बनावटी आधार बन गया है कि पटवारी से जानकारी प्राप्त होने की तारीख से अपील अंदर म्याद पेश है, जो मात्र अपील को अंदर म्याद लाने के लिए ही लिखा है जबकि हस्तगत अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.08.2019 अपीलांट स्वयं की उपस्थिति में पारित किया गया है तथा आदेश के बाद, अपीलांट के पक्ष में दिनांक 26.08.2019 को बक्शीशनामा भी निष्पादित हुआ है। इसके अतिरिक्त जानकारी की तारीख दिनांक 10.07.2020 से भी अपील म्याद बाहर पेश की गई है। अतः यह प्रार्थना पत्र बेबुनियाद व आधारहीन होने से गुणावगुण पर भी खारिज योग्य है। जिसमें अंकित कारण संतोषजनक नहीं है तथा पारिणामस्वरूप हस्तगत अपील भी म्याद बाधित होने से खारिज योग्य है।

आदेश

10. उपर्युक्त विवेचनानुसार एवं विश्लेषणानुसार अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम 1963 आधारहीन होने से अस्वीकार किया जाता है। परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

तहसीलदार, लूणी द्वारा राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 53 के अंतर्गत पारित आराजी विभाजन आदेश दिनांक 22.08.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील भी अंतर्गत धारा 225 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 म्याद बाधित होने से अस्वीकार की जाती है।

11. निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख तहसीलदार, लूणी को लौटाया जावे।
12. प्रकरण में लम्बित अन्य समस्त प्रार्थना पत्रों (यदि कोई हो तो) को तदनुसार निस्तारितं किया जाता है।
13. पत्रावली बाद तामिल व तकमील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नंबर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रथम), जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 28.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रथम), जोधपुर